



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5615

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3899 वर्ष 2025

अनुराग सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पूजा सिंह, शिव कुमार गुप्ता

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. प्रस्तुत याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है:

“(i) प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित एवं निर्देशित करने हेतु परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 द्वारा आराजी संख्या 915, क्षेत्रफल 0.850 हेक्टेयर, ग्राम- चतुर्भुज, बरसठी, तहसील- मड़ियाहूँ, जनपद- जौनपुर स्थित गड़हा (तालाब/गड़हा) पर किए गए अतिक्रमण को हटाए;

(ii) तथा ऐसा अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिससे प्रतिवादीगण को यह निर्देशित किया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 के विरुद्ध विधि के अनुसार विधिक एवं आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करें।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत चल रही कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा बेदखली एवं हर्जाना संबंधी आदेश पारित किए जाने के बावजूद उक्त आदेश का विधिवत रूप से स्थल पर अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि प्राधिकारियों ने विवादित भूखण्ड का कब्जा निजी प्रतिवादी से प्राप्त कर लिया था, किन्तु निजी प्रतिवादी ने पुनः उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण कर लिया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूखण्ड के संबंध में निजी प्रतिवादी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा बेदखली एवं हर्जाना का आदेश पारित किया गया था।
6. उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन पारित आदेश के निष्पादन की व्यवस्था विनिर्दिष्ट है; अतः धारा 67 के अधीन पारित आदेश के निष्पादन हेतु प्रस्तुत लोकहित याचिका ग्राह्य नहीं है।
7. यह उल्लेखनीय है कि कब्जा सुपुर्दगी के संबंध में जो स्थल-ज्ञापन तैयार किया गया है, उस पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता, जब तक कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही प्रारम्भ न की जाए।
8. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त, इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
9. तदनुसार, प्रस्तुत लोकहित याचिका इस अवलोकन के साथ निरस्त की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत उपयुक्त कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,)

जनवरी 9, 2026

इम्तियाज़/रमीज़

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।